



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-31072026-275013
CG-RJ-E-31072026-275013

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3989]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 2026/श्रावण 5, 1948

No. 3989]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 2026/SHRAVAN 5, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर-पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 27 जुलाई, 2026

का.आ. 4159(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11वां) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20च के खंड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) जिले के संबंध में राजस्थान राज्य के अंतर्गत उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में "रेल की विशेष परियोजना उत्तर पश्चिम रेलवे के मेडता सिटी - रास (51.400 किमी.) नई बड़ी लाईन एवं मेडता रोड स्टेशन पर बाईपास लाईन (4.50 किमी.)" के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और संचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन मध्यस्थ के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्रम सं	सक्षम प्राधिकारी	जिला	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ज़िला कलेक्टर, नागौर	नागौर	राजस्थान

[फा.सं. ऊपरे/मुख्यालय/एस एंड सी/443599200 भाग-25]

विवेक सक्सेना, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**[North Western Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

Jaipur, the 27th July, 2026

S.O. 4159(E).— In exercise of the powers conferred by clause (6) of section 20 F(6) of Railways (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereafter referred to as the said Act), the Central Government hereby appoints the arbitrator mentioned in column (2) of the Table below to perform the functions as such authority under the said Act, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the special railway project of "New BG line between Merta City - RAS (51.400 KM) and by pass line at Merta Road Station (4.50 km)" of Jodhpur Division of North Western Railway, in the state of Rajasthan relating to District mentioned in Column (3) of the said Table for the purpose of execution, maintenance , management and operation.

TABLE

S. N.	Competent Authority	District	State
1	2	3	4
1	District Collector, Nagaur	Nagaur	Rajasthan

[F.No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol. XXV]

VIVEK SAXENA, Chief Administrative Officer (Construction)